17 जुलाई 2012 को कोचिन में संपन्न स्पाइसेस बोर्ड की 75 वीं बैठक का कार्यवृत्त

स्पाइसेस बोर्ड की 75 वीं बैठक 17 जुलाई 2012 को दोपहर बाद 3.00 बजे स्पाइसेस बोर्ड के कोच्ची स्थित मुख्यालय में संपन्न हुई । डॉ. ए. जयतिलक भा.प्र.से., अध्यक्ष, स्पाइसेस बोर्ड ने बैठक की अध्यक्षता की ।

निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :-

1. श्री रोय के. पाउलोस - उपाध्यक्ष
2. श्री अनन्त कुमार हेगडे, सांसद(लो.स.) - सदस्य
3. डॉ . विजू जेकब - सदस्य
4. श्री फिलिपि कुरुविला - सदस्य
5. श्री पी.जे. कुञ्ञच्चन - सदस्य
6. श्री डॉ.जी. वेंकटेश्वरा राव - सदस्य
7. श्री के.एम.सुलतान इब्राहीम - सदस्य
8. श्री डॉ. एम.आनन्दराज - सदस्य
9. श्री अबुल कलाम - सदस्य
10. श्री माधवन - सदस्य
11. श्री ई.के. वासू - सदस्य
12. श्री एन.सी. साहा - सदस्य
13. श्री मान सिंह परसोदा - सदस्य
14. श्री जोर्ज वैली - सदस्य
15. श्री जोजो जोर्ज - सदस्य
16. श्री जी.मुरलीधरन - सदस्य
17. एड्वोकेट जोय तोमस - सदस्य
18. श्री अजय जे.मारीवाला - सदस्य

निम्नलिखित सदस्यों को अनुपस्थिति छुट्टी प्रदान की गई :-

1. श्री एस.तंकवेलू, सांसद(रा.स.) - सदस्य
2. श्री राजेन्द्र पी. गोखले - सदस्य
3. श्री संजीव चोपडा - सदस्य
4. निदेशक(बागान), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय - सदस्य
5. सचिव, कृषि विभाग, केरल सरकार - सदस्य
6. श्रीमती सुषमा श्रीकण्ठत्त - सदस्य
7. श्रीमती सुतपा मजूमदार - सदस्य
8. श्रीमती अमृत राज - सदस्य

निम्नलिखित सदस्य अनुपस्थित थे :-

1. श्री पी.टी. तोमस, सांसद(लो.स.) - सदस्य
2. श्री. के.सी. प्रधान - सदस्य
3. प्रशासक, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड - सदस्य
4. प्रधान निदेशक, बागवानी व नकदी फसल विकास विभाग

बोर्ड के निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित थे :-

1. श्री पी.एम. सुरेषकुमार, सचिव और निदेशक(अनु.)
2. श्री एस.सिद्दरामप्पा, निदेशक(विकास)
3. श्री के.सी.बाबू, निदेशक(वित्त)
4. डॉ. एम.आर. सुदर्शन, निदेशक(विपणन)
5. डॉ. पी.एस.एस. तंपी, उप निदेशक(प्रचार)
6. श्री पी.जगदीशन, उप निदशेक(यो.व स.)
7. श्री के.आर.के. मेनोन, वैज्ञानिक 'सी', गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों, खासकर तीन नए सदस्य डॉ.जी. वेंकटेश्वरा राव, श्री.ई के.वासू तथा श्री मान सिंह परसोदा, का बैठक में स्वागत किया और स्पाइसेस बोर्ड के कार्यों को अधिक जीवंत बनाने केलिए उनके सहयोग व बहुमूल्य सुझावों को आमंत्रित किया ।

9 फरवरी 2012 को संपन्न स्पाइसेस बोर्ड की 74 वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि :-

पुष्टि की गई ।

9 फरवरी 2012 को संपन्न स्पाइसेस बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कारवाई की रिपोर्ट

सचिव ने पिछली बोर्ड-बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई का संक्षिप्त विवरण दिया और बोर्ड ने नोट किया । विभिन्न कृत्यक बल समितियों द्वारा अनुशंसित कार्रवाइयों को भी नोट किया गया ।

पारवहन और भण्डारण के दौरान एफ्लाटोक्सिन को न्यूनतम कर देने पर की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट के बारे में विस्तृत चर्चा की गई ।

निदेशक, आई.आई.पी. ने सूचित किया कि आई.आई.पी. ने 1998 के दौरान निर्यात केलिए तैयार साबुत मसालों और पीसे मसालों केलिए पैकिंग विनिर्देशों का विकास किया था और इन्हें अब संशोधित और उन्नत बनाने की आवश्यकता है ।

पारवहन व भण्डारण के दौरान एफ्लाटोक्सिन के संदूषण से बचाव पर सवाल उठाया गया । यह सूचित किया गया कि संदूषण को पारवहन के दौरान नहीं बल्कि प्रसंस्करण व भण्डारण के दौरान रोकना चाहिए। आगे यह भी सूचित किया गया कि पारवहन के दौरान यदि कंटेनर ऑक्सिजन को अंदर आने देता है और तब उसमें जो भी संक्रमण है, वह एफ्लाटोक्सिन उत्पादित करेगा। काजू निर्यात केलिए अपनाया गया तरीका अपनाया जा सकता है, जहाँ इसे संशोधित वातावरण में सील किया जाता है जिससे यह ऑक्सीजन को अंदर नहीं आने देता, इस तरह हम पारवहन के दौरान एफ्लाटोक्सिन उत्पादित होने को रोक सकते हैं ।

पैकेजिंग केलिए संशोधित वातावरण थोक पारवहन केलिए है लेकिन जब मसालों को छोटे पैकिंग में भेजते हैं तो इसे लागू करना मुश्किल है ।

कर्नाटक में रिक्त पदों की भराई के संबन्ध में यह सूचित किया गया कि महत्वपूर्ण पदों को सामान्य स्थानांतरण के दौरान भर दिया गया है, लेकिन स्टाफ की कमी एक गंभीर समस्या है । यह सूचित किया गया कि उपलब्ध समिति स्टाफ के साथ परिनियोजन किया गया है ।

उसके बाद कार्यसूची की मदों पर विचार किया गया ।

मद सं : 1) सुलतान बत्तेरी और पारात्तोड में क्षेत्र कार्यालय खोलना

नोट किया गया ।

मद सं : 2) 2011-12 केलिए छोटी इलायची उत्पादकता पुरस्कार

अनुमोदित किया गया ।

मद सं : 3) 2011-12 केलिए बडी इलायची उत्पादकता पुरस्कार

अनुमोदित किया गया ।

मद सं : 4) वर्ष 2012-13 केलिए मसालों के गुणवत्ता सुधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम ।

नोट किया गया ।

मद सं : 5) पालक्काड में पुदीना की परीक्षण-खेती

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह सूचित किया गया कि केरल के पालक्काड के अलावा समान कृषि-जलवायु इलाकेवाले अन्य राज्यों में खेती बढाने का प्रस्ताव है । पोल्लाची में भी इसकी कोशिश की गई । अध्यक्ष महोदय ने पुदीना उत्पादों की बढिया मांग सूचना दी । अभी इसका उत्पादन मुख्यतः यू.पी. के चार जिलों में केन्द्रित है ।

अध्यक्ष महोदय ने यू.पी. में पुदीना पार्क स्थापित किए जाने की बोर्ड की योजना के बारे में सूचित किया, जो किसान को मूल्ययोजन केलिए सक्षम बनाएगी ।

नोट किया गया ।

मद सं : 6 श्री मान सिंह परसोदा, बोर्ड सदस्य, गुना के सुझाव

मसालों के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए अनुदान जैसी वित्तीय सहायता के एक सुझाव को छोडकर उनके सभी सुझावों को स्वीकार किया गया ।

नोट किया गया ।

मद सं: 7 स्पाइसेस बोर्ड की 12 वीं पंचवर्षीय योजना के ई एफ सी/एस एफ सी ज्ञापन की तैयारी तथा प्रस्तुति

उत्तर-पूर्व केलिए 47 करोड रु. आबंटित करने के बारे में चर्चा की गई । यह सूचित किया गया कि बडी इलायची के विकास केलिए प्लान प्रस्ताव हैं । अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि उत्तर पूर्व में स्पाइसेस पार्क की स्थापना करने की योजना है ।

नोट किया गया ।

मद सं: 8 2012-13 केलिए बजट अनुमान

नोट किया गया ।

मद सं: 9 विभिन्न राज्यों में मसाला समुदायों के मोबाइल-टेली-नेटवर्क की स्थापना ।

यह सूचित किया गया कि 11 जुलाई 2012 को तमिलनाडु में सर्वप्रथम "मोबाइल-टेली-नेटवर्क की स्थापना की गई है और केरल, कर्नाटक और आंध्रप्रदेश में जल्दी ही स्थापित की जाएगी ।

नोट किया गया ।

मद सं: 10 भारतीय रेल के सहयोग से मसालों का उन्नयन

एयर इण्डिया में भी समान सहयोग पर विचार करने को सुझाया गया ।

नोट किया गया ।

मद सं: 11 आई आर सी टी सी वेबसाइट में उन्नयन

नोट किया गया ।

मद सं: 12 स्थापनाधीन मसाला पार्क और गुणवत्ता मूल्याँकन प्रयोगशालाएं

मसाला पार्क और गुणवत्ता मूल्याँकन प्रयोग-शालाएं स्थापित होने में हुई प्रगति की स्थिति बोर्ड के ध्यान में लाई गई । बोर्ड ने उसे नोट किया ।

मद सं: 13 क) 2011-12 के दौरान मसालों के निर्यात निष्पादन की पुनरीक्षा

ख) अप्रैल-मार्च 2012-11 की तुलना में अप्रैल-मार्च 2011-12 के दौरान भारत में मसालों के आयात की पुनरीक्षा

निर्यात निष्पादन और भारत में मसालों का आयात नोट किया गया ।

मद सं: 14 मोबाइल स्पाइस क्लिनिक

नोट किया गया ।

मद सं: 15 सलाहकार सेवाएँ

नोट की गई ।

मद सं: 16 जैव-अभिकारकों का उत्पादन और वितरण

नोट किया गया ।

मद सं: 17 गुणवत्तावाले मसाले उत्पादन केलिए जी ए पी का नवाँ बैच

नोट किया गया ।

मद सं: 18 गुणवत्ता मूल्याँकन प्रयोगशाला, स्पाइसेस बोर्ड द्वारा विश्लेषित परेक्षण नमूनों की स्थिति

पिछले एक वर्ष के दौरान परषेणों के निराकरण की स्थिति से संबन्धित विवरण और निराकरण का कारण पूछा गया । यह आश्वासन दिया गया कि रैपिड एलेर्ट नोटिफिकेशन की समेकित सूची अगली बोर्ड-बैठक में रखी जाएगी ।

मद सं:19 आई. पी. सी सदस्य राष्ट्रों के तकनीकी कार्मिकों के लिए मसालों व मसाले उत्पादों के विश्लेषण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

नोट किया गया ।

मद सं: 20 खाद्य सुरक्षा, मसालों तथा वानस्पतिक खाद्य घटकों के आपूर्ति श्रृंखला प्रबन्धन केलिए प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना

नोट की गई ।

मद सं: 21 इ-नीलाम प्रणाली सहित इलायची के घरेलू विपणन के वर्तमान अधिशासी नियमों और विनियमों की पुनरीक्षा/संशोधन केलिए विशेषज्ञ-समिति का गठन

श्री रोय के.पाउलोस, उपाध्यक्ष, स्पाइसेस बोर्ड की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ-समिति गठित की गई थी । इस समिति ने 20 मदों पर अपने निर्णय समेत अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और बोर्ड ने विशेषज्ञ-समिति के इन निर्णयों/सुझावों पर विचार किया । विशेषज्ञ-समिति द्वारा लिया गया निर्णय अनुबन्ध में दिया गया है ।

रिपोर्ट की मद संख्या 14, यानी श्री.जोजो जोर्ज की असहमति, के बारे में अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट किया कि केरल के माननीय मुख्य मन्त्री महोदय के साथ हुई बैठक में इस पर चर्चा की गई है । नीलाम लाइसेंस जारी करने से संबन्धित नियमों व विनियमों का अध्ययन करने तथा नए नीलामकर्त्ता की विश्वसनीयता, जारी करने हेतु नीलाम लाइसेंसों की संख्या, क्या यह चक्रानुक्रम में होनी चाहिए ? आदि सुनिश्चित करने के बाद इस पर विचार किया जाएगा ।

हफ्ते में एक दिन की छुट्टी देने से संबन्धित रिपोर्ट की मद संख्या 16 के बारे में यह स्पष्ट किया गया कि एक दिन की साप्ताहिक छुट्टी के बदले पूरे साल की छुट्टियों की सूची तैयार की गई है, और तदनुसार समिति के निर्णयों का अनुसरण करने का निर्णय लिया गया ।

रिपोर्ट की मद संख्या 18 के बारे में यह स्पष्ट किया गया कि 50 पैसे का वर्धमान मूल्य 1987 में निर्धारित किया गया था । 25 वर्ष बाद 50 पैसे के वर्तमान मूल्य पर विचार करते हुए, वर्धमान मूल्य 10/- रु करके संशोधित करने का तथा व्यापारियों पर विश्वास रखते हुए इसे कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया ।

अध्यक्ष महोदय ने केरल के माननीय मुख्य मन्त्री के सुझावों को बाँटा; यथा;

1) नकद-भुगतान का तरीका बन्द करते हुए उसके स्थान पर व्यपारी से नीलामकर्त्ता और नीलामर्त्ता से कृषक तक इ-भुगतान अपनाया जाना चाहिए । अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि यह मुख्य मंत्री से प्लान्टरों की तरफ से एक मुख्य अनुरोध था ।

2) बिक्री कर विभाग में पिछले कई सालों से लम्बित प्रतिदेय सुनिश्चित किया जाएगा ।

3) नीलाम मूल्य की दर पिछले नीलाम की भारित औसत दर से शुरू की जानी है । 24 घण्टों के भीतर इसमें भारी फरक नहीं होना चाहिए ।

अतिरिक्त नीलाम लाइसेंस जारी करने से संबन्धित मद सं.14 और चक्रानुक्रम प्रणाली पर नीलाम को सूचीबद्ध करने से संबन्धित मद सं.15 को छोडकर बाकी सारे निर्णयों को जल्दी ही अमल करने का निर्णय लिया गया ।

मद सं: 22 आई आई पी एम द्वारा इलायची घेरलू विपणि संरचना वृद्धि और भावी दृश्यविधान संबन्धी अध्ययन

नोट किया गया ।

मद सं: 23 3-5 जून 2012 के दौरान साउदी अरेबिया को स्पाइसेस बोर्ड शिष्टमण्डल पर रिपोर्ट

सचिव, स्पाइसेस बोर्ड ने साउदी अरब गए शिष्टमण्डल की सफलता के बारे में बताया ।
नोट की गई ।

मद सं: 24 मसाला भवन प्रमाणन

मसाला भवन प्रमाणन की शर्तों के संशोधन पर चर्चा की गई । अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि स्पाइसेस बोर्ड प्रमाणन के पैरामीटरों का अन्तराष्ट्रीय प्रतिमानों के बराबर उन्नयन करते हुए मसालों की गुणवत्ता की गारंटी देता है । गुणवत्ता सुनिश्चित करने केलिए, लेखापरीक्षा का प्रस्ताव है ।

नोट किया गया ।

मद सं: 25 वर्ष 2012-13 के लिए मसालों तथा मसाला उत्पादों केलिए निर्यात लक्ष्य निर्धारित करना

नोट किया गया ।

मद सं: 26 फ्लेवरिट स्पाइसेस ट्रेडिंग लिमिटेड

नोट किया गया ।

मद सं: 27 बोर्ड के उपाध्यक्ष का चुनाव

श्री पी.जे. कुञ्ञच्चन, निर्यातक सदस्य सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुन लिया गया ।
बोर्ड ने नए उपाध्यक्ष का स्वागत किया ।

मद सं: 28 सांविधिक समिति का पुन:गठन

सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि चूँकि पाँच महीने ही बाकी है, यही समिति जारी रहे ।

अतिरिक्त मद सं:I विदेश नीति 2009-14 की प्रोत्साहन योजनाओं में संशोधन

नोट किया गया ।

अतिरिक्त मद सं:II मसाले, सगन्ध शाक एवं उनके सूत्रीकरण पर कोडेक्स समिति स्थापित करने हेतु प्रस्ताव

श्री फिलिप कुरुविला ने सभा में मसालों की कोडेक्स समिति गठित करने केलिए स्पाइसेस बोर्ड के प्रयास के बारे में संक्षेप में बताया ।

उन्होंने कोडेक्स के वार्षिक सम्मेलन में हाल ही में भाग लिया था और एफ ए ओ और डब्ल्यू एच ओ के बारे में स्पष्ट किया। एफ ए ओ की स्थापना 1943 में 191 देशों में हुई जो स्वास्थ्य संबन्धी रुख का मानीटरिंग और मूल्याँकन करता है। एफ ए ओ और डब्ल्यू एच ओ दोनों का कार्य जब शुरू हुआ, खाद्य सुरक्षा की लुप्त कडी को पहचान लिया गया। इसलिए एफ ए ओ और डब्ल्यू एच ओ द्वारा संयुक्त रूप से 1963 में कोडेक्स ऐलिमेन्टेरियस की स्थापना की गई। इसमें पूरे विश्व के लिए समरूपी खाद्य मानदण्ड विकसित करने के उद्देश्य से क्रियाविधि संहिता और मार्गरेखाओं के साथ खाद्य सुरक्षा का कार्य शामिल है । संप्रति उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए कोडेक्स स्तर पर मसालों का कोई मानदण्ड नहीं है । इसमें कुल 185 सदस्य राष्ट्र और 208 प्रेक्षक हैं । इसकी एक वैज्ञानिक समिति भी है । अब कोडेक्स में मसाले, शाक, तेल और उनके सूत्रीकरण केलिए एक विशेष समिति के गठन का प्रस्ताव है। अतः वैज्ञानिक समिति द्वारा समाधान हेतु इस मामलों को विशेष समिति द्वारा लिया जा सकता है। स्पाइसेस बोर्ड द्वारा लिए गए इस अच्छे कदम की कोडेक्स ने तारीफ की ।

नोट किया गया ।

अतिरिक्त मद सं . III मसाला-निर्यात पर यू एस एफ डी ए अधिकारियों के साथ बोर्ड की चर्चा

नोट की गई ।

अतिरिक्त मद सं . IV बोर्ड ने ई एस ए तकनीकी आयोग की बैठक 2012 में भाग लिया ।

नोट किया गया

अतिरिक्त मद सं .V तमिलनाडु में करी पत्ता अभियान

नोट किया गया

अतिरिक्त मद सं .VI इलायची केलिए विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट से संबन्धित श्री जोजो जोर्ज से प्राप्त इ-मेइल

नोट किया गया ।

बैठक सायं 5.45 बजे समाप्त हुई ।

****

अनुबन्ध

इलायची केलिए विशेषज्ञ समिति

बोर्ड ने छोटी इलायची केलिए वर्ष 2007 में इ-नीलाम प्रणाली शुरू की । केरल के पुट्टडी और तमिलनाडु के बोडिनायकन्नूर में दो सामान्य इ-नीलाम केन्द्र शुरू किए गए । नीलाम में भाग लेने केलिए नीलामकर्त्ताओं को इलायची नीलाम लाइसेंस प्राप्त करना है ।

इ-नीलाम लाइसेंस, इलायची ब्यौहारी लाइसेंस आदि का वितरण, नीलाम चलाना, भुगतान अनुसूची आदि इलायची(अनुज्ञापन और विपणन) नियमावली 1987 द्वारा अधिशासित है । वर्तमान इ-नीलाम प्रणाली के अनुसूचीकरण सहित इलायची के घरेलू विपणन से संबन्धित वर्तमान नियमों तथा विनियमों की पुनरीक्षा/संशोधन केलिए उद्योग के समस्त पणधारियों की एक समिति गठित की गई ।

समिति के सदस्य

श्री रोय.के.पाउलोस को अध्यक्ष और श्री जोजो जोर्ज, श्री के.एम.सुल्तान इब्राहीम, श्री जोर्ज वैली, श्री जी. मुरलीधरन और श्री एस.पी.जी.आर माधवन को सदस्य बनाकर विशेषज्ञ-समिति गठित की गई । समिति का प्राथमिक उद्देश्य इ-नीलाम प्रणाली सहित इलायची के घरेलू विपणन को अधिशासित करनेवाले वर्तमान नियमों तथा विनियमों की पुनरीक्षा करना है ।

अन्ततोगत्वा, समिति ने इलायची के इ-नीलाम के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत अध्ययन केलिए जनवरी 2012 से जून 2012 तक कोच्ची में छः बैठकों का आयोजन किया ।

विशेषज्ञ-समिति के सुझाव/सिफारिशें

1) इलायची के लिए न्यूनतम समर्थित कीमत निर्धारित करते हुए इलायची-कृषकों को लाभकारी प्रतिफल सुनिश्चित करना । विशेषज्ञ-समिति ने बोर्ड से न्यूनतम समर्थित कीमत निर्धारित करने हेतु कदम उठाने का सुझाव किया

2) विशेषज्ञ-समिति ने बोर्ड से इलायची बागानों केलिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार अपनाने का सुझाव किया

3) नमूनों के आहरण और प्रतिदाय संबन्धी नियमों के संशोधन का कार्य जो स्पाइसेस बोर्ड द्वारा किया जाना है

4) मसाला कृषक समितियों केलिए ग्रेडिंग मशीनों की आपूर्ति

5) इलायची पर केरल सरकर के वैट(VAT) की कटौती केलिए पहल करना

6) एफ.एस.टी. एल की सहायता से इलायची का हाज़िर व्यापार

7) समाकलित इलायची के पैरामीटरों के मूल्याँकन केलिए उपकरण का विकास

8) इ-नीलाम सोफ्टवेयर में संशोधन लाने की संगतता और उसके प्रभाव का मूल्याँकन बोर्ड को करना है

9) समिति ने बोर्ड से पुट्टडी और बोडिनायकन्नूर के वर्तमान इ-नीलाम प्लाटफार्मों में नए नीलाम लाइसेंस जारी करने की सिफारिश की । इस निर्णय का कार्यान्वयन एक संगतता-अध्ययन के आधार पर किया जा सकता है

10) व्यापारी से अदायगी के समाकलन और प्लान्टर को भुगतान की अधिकतम समयावधि 12 दिन निर्धारित की गई

11) इ-नीलाम का न्यूनतम वर्धमान मूल्य प्रति पुनरावृत्ति एक रुपया हो

12) प्लान्टरों केलिए लॉट संख्या का आबंटन ' पहले आएं पहले पाएं ' आधार पर होना चाहिए ।

13) सभी समाकलन केन्द्रों में इलेक्ट्रॉनिक तराजू अनिवार्य बनाया जाए

14) इ-नीलाम सोफ्टवेयर में परिवर्तन, ऐसे साफ्टवेयर-परिवर्तन की संगतता और प्रभाव के मूल्याँकन के आधार पर किया जाना

....